


15/11
22

आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ है
हुई। वारी एवं वारी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवाज दिलाने
के बावजूद सायं 5:00 बजे तक वारी एवं
वारी वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद अदम हाजरी एवं अदम
पैरवी के साथ खारिज हो चुका है।
मूलवाद का निस्तारण हो जाने से
प्रां.पत्र 212 RTI का कोई औचित्य
नहीं है रहता है।

वी कार्यवाही डॉ. पी. जी. शर्मा की जा रही है। पत्रावली
केसल नुमांर होकर रजिस्टर से कम की
जावे। संलग्न मूलवाद है।


DPO